न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 49/2025 (उदयपुर डिक्री)

नन्दलाल पिता स्व0 ईश्वरलाल जी मेनारिया, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नंबर 220, पानेरियों की मादड़ी, तहसील तहसील, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. खेमराज मेनारिया पिताइ स्वर्गीय ईश्वरलाल जी मेनारिया, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 29.07.2024 प्र.सं. 129/2019

———/———

उपस्थित :– 1. श्री सुरेशचन्द्र द्विवेदी/सुरेन्द्र कुमार चौबीसा अभि0 अपीलान्ट
2. श्री राजकीय पैरोकार

———::———

निर्णय **दिनांक 23–05–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोतीखेड़ा में आराजी नंबर 3738 से 3751 कुल किता 14 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा है, जिसमें 5/12 वां हिस्सा वर्तमान में मेरे नाम से दर्ज है एवं 1/4 हिस्से की वसीयत अपने जीवनकाल में मेरे पिता जी स्वर्गीय ईश्वरलाल पिता देवकिशन जी ने दिनांक 21–01–2010 को कर दी थी तथा स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मेरे पिता जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये तब से उक्त आराजियात में मेरा 2/3 हिस्सा हो गया। उक्त 1/4 हिस्सा मेरे पिता जी ने जुलाई 2080 में पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदा था जिससे वह उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति होने से उन्हें वसीयत करने का पूरा अधिकार तथा उक्त भूमि वादी अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:15 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। पिता की मृत्यु के बाद मैंने कई बार प्रतिवादी को उक्त जमीन अपने नाम करने को कहा, किन्तु वह टालम–टूल कर रहे हैं, जिससे यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः वाद वर्णित आराजियात में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

2. प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया विवादित आराजी नंबर 3741 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है तथा जुलाई 2080 में विवादित भूमि पंजीकृत विक्रय से क्रय करने का कथन स्वीकार नहीं है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर वादी खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी ने वसीयतकर्ता के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 3 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 29–07–2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15–04–2025 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र द्विवेदी एवं सुरेन्द्र कुमार चौबीसा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज थी, जिसमें से 1/4 हिस्से की वसीयत पिता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की गयी है एवं इसी वसीयत कि आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें मुझ अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि अपीलान्ट वसीयतकर्ता का पुत्र होने से हितबद्ध व्यक्ति है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः धारा 96 जा.दी. प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/प्रार्थी वसीयतकर्ता ईश्वरलाल का पुत्र होने से वह भी प्रकरण में हितबद्ध होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अतः धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। चूंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उसे पूर्व में होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि मौरूसी होने से अपीलान्ट का भी उसमें हक हिस्सा निहित है, किन्तु वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपने भाई बहनों को पक्षकार नहीं बनाया एवं एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली। अपीलान्ट ने अन्य दावा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध कर रखा है, जिसमें दिनांक 09–07–2024 को स्थगन जारी किया गया। वादी ने इस प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगाकर दिनांक 29–07–2024 को डिक्री प्राप्त कर ली, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

9. पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने घोषणा के वाद में अपने भाई–बहनों को पक्षकार नहीं बनाया, जबकि भूमि पैत्रृक होने से वे आवश्यक पक्षकार हैं तथा न्याय की दृष्टि से उनके हक अधिकार प्रभा[illegible] हैं एवं उन्हें पक्षकार बनाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:15 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक था। जैसाकि कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के अनुसार "All the co-sharers have to bt joined and if some of them refused to join as plaintiffs they may be impleaded as defendants."

साथ ही अपीलान्ट ने दौराने बहस बताया कि उक्त भूमि बाबत एक अन्य दावा विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का लम्बित होकर उसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्थगन जारी किया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत अन्य स्थगन की पत्रावली संख्या 29/2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलान्ट नन्दलाल द्वारा रेस्पोन्डेन्ट खेमराज के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है।

अतः उक्त दोनों कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

11. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट नन्दलाल को प्रतिवादी के रूप में संस्थित कर तथा नन्दलाल द्वारा प्रस्तुत अन्य वाद के साथ इस वाद को समेकित कर दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई करते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–07–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 23–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:15 IST
Reason: SelfAttested